न्यायालय जे.एम./अपर सिविल जज (जू.डी.) कोर्ट संख्या 03 मेरठ।

UPME041296292022

वाद सं० 23376/2022

शिवदयाल बनाम राहुल कुमार आदि

थाना- दौराला।

जनपद- मेरठ।

दिनांक 18-01-2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर तलबी बहस पर सुना जा चुका है।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र मे मुख्य कथन किया है कि परिवादी की बेटी की शादी विपक्षी सं. 01 के साथ दिनांक 13-12-2018 को जैन मन्दिर दौराला मेरठ में हिन्दू रीतिरिवाज के साथ संपन्न हुई। शादी में परिवादी ने लगभग सात लाख रुपये के सामान विपक्षीगण को भिन्न-भिन्न अवसरो व स्थानों पर सौंपा कि वह यह बेटी का स्त्रीधन है जब भी वह विपक्षीगण से मांगेगी तब वे लौटा देंगे। विपक्षीगण दिये गये सामान से खुश नहीं थे तथा परिवादी की बेटी से स्विफ्ट डिजायर कार की मांग करते थे। मांग पूरी न करने पर परिवादी की बेटी को शारीरिक व मानसिक यातनाये देते थे व मारपीट व गाली गलौच करते थे। विपक्षीगण 04 ने परिवादी की बेटी के साथ बलात्कार का प्रयास भी किया तथा विपक्षी सं. 05 ने छेड़छाड़ व अश्लील हरकते की। दिनांक 25-03-2021 को समय करीब तीन बजे शाम विपक्षी सं. 01 ता 03 व 05 कुछ रिश्तेदारों के माध्यम से परिवादी के घर आये और फैसले की बात की तो फैसला नहीं हो पाया तथा विपक्षी सं. 01 ता 03 व 05 कार की मांग पर अड़े रहे। मांग पूरी ने करने से मना करने पर इन्होंने शिल्पा के साथ मारपीट की और वापिस आने पर जाने से मारने की धमकी दी। विपक्षीगण के विरूद्ध थाना दौराला पर मु.अ.सं. 08/2022 सरकार बनाम राहुल आदि अन्तर्गत धारा 498A,354,313,323,504,377,326,511,506 भा.दं.सं. व 3/4 दहेज अधिनियम का मुकदमा दर्ज है जो विचाराधीन है। परिवादी की बेटी ने विपक्षीगण से कई बार अपने स्त्रीधन की मांग की व इसके संबंध में विपक्षीगण को नोटिस भी दिया गया लेकिन वे परिवादी की बेटी का स्त्रीधन वापिस नहीं कर रहे है, उसे खुर्द-बुर्द कर रहे है।

परिवादी द्वारा प्रा.पत्र के समर्थन में धारा 200 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत स्वयं का ब्यान लेखबद्ध कराया गया एवं साक्षी पी.डब्लृ. 01 ईश्वर दयाल पुत्र शिवदयाल व साक्षी पी.डब्लृ.02 तनिष्क मित्तल पुत्र सुनील कुमार के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित कराये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी ने अपनी बेटी की शादी विपक्षी सं. 01 के साथ दिनांक 13-12-2018 को की थी। शादी में परिवादी ने लगभग सात लाख रुपये के सामान विपक्षीगण को भिन्न-भिन्न अवसरो व स्थानों पर सौंपा कि वह यह बेटी का स्त्रीधन है जब भी वह विपक्षीगण से मांगेगी तब वे लौटा देंगे। विपक्षीगण परिवादी की बेटी से स्विफ्ट डिजायर कार की मांग करते थे। मांग पूरी न करने पर परिवादी की बेटी को शारीरिक व मानसिक यातनाये देते थे व मारपीट व गाली गलौच करते थे। विपक्षीगण के विरूद्ध थाना दौराला पर मु.अ.सं. 08/2022 सरकार बनाम राहुल आदि अन्तर्गत धारा 498A, 354, 313, 323, 504, 377, 326, 511, 506 भा.दं.सं. व 3/4 दहेज अधिनियम का मुकदमा दर्ज है जो विचाराधीन है। परिवादी द्वारा उक्त अपनी बेटी के स्त्रीधन को वापस लेने हेतु संस्थित किया है। परिवादी की बेटी ने विपक्षीगण से कई बार अपने

स्त्रीधन की मांग की तथा विपक्षीगण को नोटिस भी दिया गया लेकिन विपक्षीगण द्वारा स्त्रीधन नहीं लौटाया गया। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण 01, 02 व 03 के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला अंतर्गत धारा **406 भा.दं.सं.** का कारित किया जाना प्रतीत होता है व उक्त के विचारण के लिए विपक्षीगण 01, 02 व 03 न्यायालय में आहूत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **राहुल कुमार पुत्र सरदार सिंह, सरदार सिंह पुत्र स्व. प्रीतम सिंह एवं श्रीमती सन्तोष देवी पत्नी सरदार सिंह** को अंतर्गत धारा **406 भा.दं.सं.** के विचारण हेतु आहूत किया जाता है। बाद पैरवी अभियुक्तगण के विरूद्ध समन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनाँक 27-02-2023 को पेश हो।

जे.एम./ अपर सिविल जज (जू०डि०)
कोर्ट संख्या 03 मेरठ।
J.O.Code UP3214

Digitally signed by Binny Balyan
Date: 2023.01.18 16:53:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court